ओडिशा राज्य व अन्य

बनाम

सुरेन्द्रनाथ मल्लिक व अन्य

जुलाई 23, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत तथा डी. के. जैन, न्यायाधिपतिगण]

सेवा विधि:

प्रत्यावर्तन - अधिकरण द्वारा यह विवाद्यक विरचित किया गया कि क्या अनुभाग अधिकारी के अवकाश से लौटने के पश्चात आवेदक का उसके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तन किया जायेगा --- हालांकि अधिकरण द्वारा आरक्षण के प्रश्न और *1975* के अधिनियम और नियम की प्रयोज्यता के बिंदुओं पर विचार किया गया --- उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज की गयी --- अपील आदेश पारित किया गया कि अधिकरण द्वारा सही विवाद्यक विरचित किये गए, परन्तु उसने आधारभूत मुद्दों को ध्यान में न रखकर गलत उत्तर दिए --- उच्च न्यायालय द्वारा भी मूल विवाद को नज़रअंदाज़ किया गया --- प्रकरण पुनः नए सिरे से विचार हेतु अधिकरण को प्रेषित किया गया --- ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज अधिनियम/नियम, *1975*

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने प्रत्यावर्तन आदेश से व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती दी गयी। अधिकरण द्वारा विवाद का मुख्य बिंदु यह पाया गया कि क्या 'ए' अनुभाग अधिकारी स्तर-I के अवकाश से लौटने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1- आवेदक का उसके पूर्व पद वरिष्ठ सहायक पर प्रत्यावर्तन किया जायेगा। परन्तु यह निर्णीत करने में अधिकरण द्वारा प्रतिपादित किया गया कि अनुभाग अधिकारी के लौटने के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रत्यावर्तन किया जाना पोषणीय नहीं है क्योंकि इससे अनुभाग अधिकारी स्तर-II के पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रतिशत में कमी आ जायेगी, तथा चूंकि 'ए' सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार है, इस कारण से उसी श्रेणी के कनिष्ठतम उम्मीदवार का प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिए एवं न कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का, जो कि एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार है, जिससे कि 'ए' के अवकाश से लौटने के परिणामस्वरूप प्रत्यावर्तन का सामना कर रहे उम्मीदवार के लिए जगह बनायी जा सके। उच्च न्यायालय द्वारा भी मूल विवाद को नज़रअंदाज़ किया जाकर रिट याचिका खारिज कर दी गयी।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए गए कि अधिकरण व उच्च न्यायालय, दोनों के ही द्वारा आधारभूत मुद्दों पर विचार नहीं किया गया, और त्रुटिपूर्ण रूप से आरक्षण के प्रश्न तथा ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज अधिनियम, 1975 व ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज नियम, 1975 की प्रयोज्यता के बिंदुओं पर विचार किया गया।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर तथा प्रकरण को पुनः अधिकरण को प्रेषित कर प्रतिपादित किया गया कि:

हालांकि अधिकरण द्वारा सही विवाद्यक विरचित किये गए, परन्तु उसने आधारभूत मुद्दों को ध्यान में न रखकर गलत उत्तर दिए। उच्च न्यायालय द्वारा भी मूल विवाद को नज़रअंदाज़ किया गया। [मद 10] [473-बी, सी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 3203, वर्ष 2007

ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक के मूल क्षेत्राधिकार प्रकरण संख्या 8259, वर्ष 2000 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 21.09.2001 के विरूद्ध

जन कल्याण दास तथा अविजीत भुजबल, अपीलार्थियों की ओर से।

शिबाशीष मिश्रा, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी।

2. इस अपील में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा लिए गए मत की पुष्टि की गयी है।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिकरण के समक्ष अपीलार्थियों के उस आदेश पर प्रश्न उठाया गया था जिसमें उनके द्वारा एक अंतर्यामी आचार्य, अनुभाग अधिकारी स्तर-I के अवकाश से लौटने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का उसके पूर्व पद वरिष्ठ सहायक पर प्रत्यावर्तन कर दिया गया था।

4. अधिकरण द्वारा आवेदक के मूल आवेदन को स्वीकार किया गया था। अधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी, जो कि उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किये गए कि अधिकरण व उच्च न्यायालय, दोनों के ही द्वारा आधारभूत मुद्दों पर विचार नहीं किया गया, और त्रुटिपूर्ण रूप से आरक्षण के प्रश्न तथा ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज अधिनियम, 1975 (संक्षेप में 'ओआरवी अधिनियम') व ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज नियम, 1975 (संक्षेप में 'ओआरवी नियम') की प्रयोज्यता के बिंदुओं पर विचार किया गया। अपीलार्थियों के अनुसार वे प्रश्न प्रासंगिक नहीं थे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कथन किये गए कि हालांकि अधिकरण व उच्च न्यायालय ने ओआरवी अधिनियम व ओआरवी नियम का संदर्भ दिया, परन्तु वास्तविकता में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जबकि अधिकरण व उच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत मुद्दों को सम्बोधित नहीं किया गया है।

7. अधिकरण ने अपने आदेश के मद संख्या 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया है:

"तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या एक अंतर्यामी आचार्य, अनुभाग अधिकारी स्तर-I के अवकाश से लौटने पर आवेदक का उसके पूर्व पद वरिष्ठ सहायक पर प्रत्यावर्तन किया जाना था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं कि अनुलग्नक-4 आदेश दिनांकित 16.4.1990 के द्वारा आवेदक की पदोन्नति किसी अवकाश रिक्ति के विरुद्ध नहीं की गयी थी, एवं न ही उक्त आदेश में ऐसी कोई शर्त थी कि रिक्ति समाप्त होने के परिणामस्वरूप आवेदक का अपने पूर्व पद पर प्रत्यावर्तन कर दिया जाएगा।"

8. परन्तु आवेदन को निर्णीत करते समय यह प्रतिपादित किया कि:

"12. अंतर्यामी आचार्य के अवकाश से लौटने के परिणामस्वरूप अनुलग्नक-5 आदेश के द्वारा आवेदक का प्रत्यावर्तन किया जाना पोषणीय नहीं है क्योंकि इससे अनुभाग अधिकारी स्तर-II के पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के प्रतिशत में कमी आ जायेगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित सिद्धांत में प्रतिपादित है। चूंकि अंतर्यामी आचार्य एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार है, इस कारण से उसी श्रेणी के कनिष्ठतम उम्मीदवार का प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिए एवं न कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का, जिससे कि अंतर्यामी आचार्य, सेक्शन ऑफिसर स्तर-I के अवकाश से लौटने के परिणामस्वरूप प्रत्यावर्तन का सामना कर रहे उम्मीदवार के लिए

जगह बनायी जा सके। इस कारण से आवेदक के प्रत्यावर्तन का आदेश अनुलग्नक-5 अपास्त किया जाता है, और यह निर्देश दिया जाता है कि उसे अनुभाग अधिकारी स्तर-II के पद पर ही जारी रखा जाए, तथा दिनांक 1.6.1990 से लेकर आज तक, या इस दौरान अनुभाग अधिकारी स्तर-II के पद पर उसकी अगली पदोन्नति की दिनांक तक, जो भी पहले हो, उक्त अवधि का अंतर वेतन निकाला जाकर इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की दिनांक के तीन माह के भीतर उसे भुगतान किया जाए। जहां तक अनुलग्नक-6 आदेश का प्रश्न है, तो चूंकि पदोन्नति 44 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर की गई थी और उस पर आरक्षण के प्रावधान उक्त अधिनियम के धारा 3(g) के अनुसार लागू नहीं होते हैं, इस कारण से हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं।"

9. उच्च न्यायालय द्वारा भी आधारभूत प्रश्न को नज़रअंदाज़ किया गया तथा निम्नलिखित टिप्पणियां कर रिट याचिका को खारिज किया गया:

"4. विचारणीय प्रश्न यह है कि जब एक सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार अवकाश से लौटता है, क्या ऐसी स्थिति में ऐसे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिए जिसकी पदोन्नति अवकाश रिक्ति के विरूद्ध नहीं की गई थी। विपक्षी पक्ष संख्या 1 का यह कथन है कि कृषि, औद्यानिकी, और मृदा संरक्षण निदेशालयों में अनुभाग अधिकारी स्तर-II के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा

अनेक अभ्यावेदन किये गए थे, जिनमें ओडिशा रिजर्वेशन ऑफ वेकेंसीज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन और आरक्षण रोस्टर न रखने के आरोप थे। चूंकि विपक्षी पक्ष संख्या 1 को रोस्टर के अनुसार एक आरक्षित श्रेणी के पद पर पदोन्नति मिली थी, इस कारण से एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को शामिल करने के लिए उसका प्रत्यावर्तन किया जाना पोषणीय नहीं है। इस कारण से अधिकरण द्वारा सही तरीके से ही प्रत्यावर्तन को अपास्त किया जाकर उसे उसके पूर्व पद पर पुनर्स्थापित किया।"

10. हालांकि अधिकरण द्वारा सही विवाद्यक विरचित किये गए, परन्तु उसने आधारभूत मुद्दों को ध्यान में न रखकर गलत उत्तर दिए। उच्च न्यायालय द्वारा भी मूल विवाद को नज़रअंदाज़ कर उपरोक्त वर्णित आशय की टिप्पणियां कर दी गयीं। इस समस्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय तथा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है, तथा प्रकरण को अधिकरण के समक्ष इस आदेश के साथ प्रेषित किया जाता है कि आधारभूत मुद्दों तथा पक्षकारों के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नए सिरे से प्रकरण को निर्णीत करें।

11. यह अपील स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

डी.जी.

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी करणसिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।